

बिहार सरकार  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं० सं०-4/निदे०-एस०सी०ए०-टी-०१/२००७-

Email/Upload  
26/09/16  
राज्य योजना

44

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

पटना, दिनांक- 26.09.16

विषय: पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत समेकित थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2016-17 में राज्य योजना से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में ₹10.00 लाख एवं सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण- ₹497.39 लाख अर्थात् कुल ₹507.39 लाख (पांच करोड़ सात लाख उनचालीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत समेकित थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष-2016-17 में राज्य योजना से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में ₹10.00 लाख एवं सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण- ₹497.39 लाख अर्थात् कुल ₹507.39 लाख (पांच करोड़ सात लाख उनचालीस हजार) मात्र अनुदान के रूप में समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराते हुए चयनित योजनाओं के लिये व्यय करने की स्वीकृति पत्रांक-43 दिनांक-19.09.2016 द्वारा दी गई है। तदनुसार कुल स्वीकृत राशि सहायक अनुदान वेतन मद में ₹10.00 लाख एवं सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण- ₹497.39 लाख अर्थात् कुल ₹507.39 लाख (पांच करोड़ सात लाख उनचालीस हजार) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2- कुल भारित व्यय की राशि राज्य योजना मांग संख्या-44 के अन्तर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- उपशीर्ष-0125-थरूहट क्षेत्र विकास-विषय शीर्ष-3104-सहायक अनुदान वेतन-3105-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण-राज्य योजना स्कीम कोड-SST-5462-विपत्र कोड-P2225027960125 में भारित होंगे।

3- इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया राशि की आवश्यकतानुसार निकासी कर समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही वे अभिकरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन अभिकरण से प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार तथा विभाग को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया समेकित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4- योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन जिला स्तर पर गठित समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के कार्यकारिणी समिति तथा आम सभा द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में किया जायेगा। प्रस्तावित राशि के तहत थरूहट क्षेत्र के विकास हेतु जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक-87 दिनांक-24.05.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये वार्षिक कार्य योजना के अन्तर्गत बेतिया शहर में थरूहट क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास का निर्माण, सम्पर्क पथ निर्माण, सिंचाई हेतु विद्युत आधारित चैनल के साथ ट्यूबवेल का निर्माण एवं पेय जल हेतु सौर उर्जा आधारित पम्प के साथ मिनी जलापूर्ति संबंधी योजनाएँ ली जायेगी।

6- महालेखाकार, बिहार को इस राशि से व्यय से सम्बंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक- 17/4/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9- सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को इस राशि की आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रेम सिंह मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-4 / निदे०-एस०सी०ए०-टी-01 / 2007- 44

पटना, दिनांक- 26.09.16

प्रतिलिपि- जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4 / निदे०-एस०सी०ए०-टी-01 / 2007-

पटना, दिनांक-

(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण/प्रमंडलीय उपनिदेशक(क०), तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/परियोजना पदाधिकारी, समेकित थरुहट विकास अभिकरण, प० चम्पारण (बेतिया)/अवर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ प्रशाखा पदा० 1 एवं 6 (डी०)/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4 / निदे०-एस०सी०ए०-टी-01 / 2007- 44

पटना, दिनांक- 26.09.16

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।